



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 13 जनवरी, 2011 / 23 पौष, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 7th January, 2011

No. PLG FC (F) 3-1/2008-09 (Misc.).—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute H.P. State Innovation Council with immediate effect consisting of following members :-

I. Composition:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Chief Secretary : | Chairperson |
| 2. Additional Chief Secretary (Tech. Edu.) : | Member |
| 3. Pr. Secretary (Health) : | Member |
| 4. Pr. Secretary (Education) : | Member |

5.	Pr. Secretary (Admn. Reforms) :	Member
6.	Pr. Secretary (PW) :	Member
7.	Pr. Secretary (I & PH) :	Member
8.	Pr. Secretary (Tourism) :	Member
9.	Secretary (Agriculture) :	Member
10.	Secretary (Rural Dev. & Panchayati Raj) :	Member
11.	Vice-Chancellor (UHF, Solan), H.P. :	Member
12.	Vice-Chancellor, Agriculture University, Palampur, H.P. :	Member
13.	Vice-Chancellor, H.P., University, Shimla :	Member
14.	Pr. Secretary (Planning) :	Member Secretary

II. Terms of Reference / Functions :

The Terms of Reference / Functions of the H.P. State Innovation Council would be as under:

1. To promote innovation in the State;
2. To encourage young talent and local universities, colleges, medium & small scale industries and R & D Institutes in the State;
3. To map opportunities for innovation in the State;
4. To identify and reward talent in innovation and disseminate success stories;
5. To organise seminars, lectures, workshops on innovation and create State Innovation portal to educate;
6. To help in creating innovation eco-systems and
7. To organize risk capital and prepare an innovation road map 2010-2020 for the State.

III. Secretariat of the Council:

The Headquarter of the Council would be at Shimla and the Planning Department will provide the secretarial assistance to the Council.

IV. Meeting of Council :

The H.P. State Innovation Council would meet as often as required but atleast twice in a year;

By order,
AJAY TYAGI,
Principal Secretary (Planning).

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2011

संख्या ईडीएन.-सी-ए (3)-2/2009-1.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षा अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षा अध्यापक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या 17-4/69-ईडीयू-II तारीख 28-12-1973 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास—III (स्कूल एण्ड इन्सपैक्शन काडर) सर्विस रूलज, 1973 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक ये शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद से सम्बन्धित हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (प्रार0 शिक्षा) ।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक अध्यापक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम : शारीरिक शिक्षा अध्यापक

2. पदों की संख्या : 4105 (चार हजार एक सौ पांच)

3. वर्गीकरण : वर्ग—III (अराजपत्रित) ।

4. वेतनमान : (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड : 10300—34800 रु0— + 3200 /—रुपए ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 13500 /— रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15—क में दिये गये ब्यौरे के अनुसार) ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैं :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक प्रकार सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : (क) अनिवार्य अर्हताएं.—(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित पास की हो और शारीरिक शिक्षा (डी.पी.ई.एड) में दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि का डिप्लोमा ।

या

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (बी०पी०एड०) में पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की उपाधि ।

या

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा एक स्वैच्छिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातक की उपाधि ।

या

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक शिक्षा सैनिक स्कूल, पूना से पी.टी.आई पास कोर्स के साथ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (+2) या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो ।

उन अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एस.जी.एफ.आई./खेल स्पर्धाओं में भाग लिया हो या अन्तर-क्षेत्रिय खेल स्पर्धाओं में कोई स्थान ग्रहण किया हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे :

परन्तु इस नियम के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त अध्यापकों की दशा में लागू नहीं होंगे ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा निम्नलिखित रीति में:—

(1) पचास प्रतिशत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा ।

(2) पचास प्रतिशत विभाग के माध्यम से बैचवार आधार पर ।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती/संविदा नियुक्ति के लिए अविचार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादी, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर/अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15—(क.) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि के वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.—सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धिया.—संविदा के आधार पर नियुक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक को 13500/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास सदन्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्पूर्वी वर्ष/वर्षों के

लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 410/— रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.— सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर/किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम (पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410/— रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है अवश्यता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ चयन बोर्ड के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

(पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप मेंसे प्रारम्भ हाने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीनीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि का विस्तारण/नवीनीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर

नियुक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही सविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पद का नाम) कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम इसमें उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EDN-CA(3)2/2009-I Dated, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th January, 2011

No. EDN-C-A(3)2/2009-I—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Physical Education Teacher, (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh as per Annexure “A” attached to this notification; namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Physical Education Teacher Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—1. The Himachal Pradesh, Education department, Class-III (School and Inspection Cadre) Service Rules, 1973, issued *vide* Notification No. 17-4/69-Edu-II, dated 28.12.1973, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Physical Education Teacher.

2. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By orders,
Sd/-
Principal Secretary.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION IN HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Physical Education Teacher

2. Number of posts.—4105 (Four thousand one hundred five)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) *For regular PET.*—Rs. 10300-34800 + 3200 Grade pay.

(ii) *Emoluments for contract Teacher.*—13500 /- per month as per details given in Col No. 15-A.

5. Whether selection post or nonselection.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 Years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporation and Autonomous bodies who were Government Servants before absorption in Public Sector/ Corporation/ Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/Corporation/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications are notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission/HPSSSB in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—

(a) *Essential Qualification.*—(a) Senior Secondary School (+2) or its equivalent examination passed with at least fifty percent marks and diploma in Physical Education (D.P.Ed) of a duration of two academic years from a University/Board recognized by HP Govt.

OR

(b) Bachelor's Degree in Physical Education with fifty percent marks (B.P.Ed.) from a University recognized by HP Govt.

OR

(c) Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with fifty percent marks in Physical Education from a University recognized by HP Govt.

OR

(d) For Ex-Servicemen candidates Senior Secondary School (+2) or its equivalent examination with pass Course of PTI from Army School of Physical Education Poona.

05% relaxation in marks will be given to those who have at least participated in International/National/SGFI/Sports competition or Position Holders in Inter-Zonal sports competitions.

(b) *Desirable Qualification*.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees.—Not applicable.

9. Period for probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

Provided that the provisions of this rule shall not be applicable in the case of contract teachers.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis in the following manner:-

- (i) 50% by the HPSSSB Hamirpur
- (ii) 50% by the batch wise basis through Department.

The contract employee will get emoluments as given in Col. No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post may be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce/written test or both by the H.P.S.S.B/recruiting authority (as the case may be) as considered necessary or expedient by written test or practical test. The standard/ syllabus will be determined by the H.P.S.S.B/ other recruitment authority as the case may be.

15. (A) Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Physical Education Teacher in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR.**—The Deputy Director of Elementary Education of concerned District after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post of contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR.

(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The teacher The Physical Education Teacher in the Department of Elementary Education appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13500/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay) An amount of Rs 410/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Deputy Director of Elementary Education of concerned District, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HP SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR/any other recruiting agency as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e the HP SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR/any other recruiting agency as the case may be from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay of the post). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 410/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The services of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitles for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed 05 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.

(h) Provision of service rules like FRSR Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The Appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled tribes other backward classes/ categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission/ subordinates Selection Board to relax any of provisions of these rules with respect to any class or category or person or post.

—————

From of contract/agreement to be executed between the (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education of concerned District (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ S/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e* on _____ And information notice shall not be necessary.

Providing that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 13500/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual (Name of the post). He will not be entitled for Medical re-imbursement and L.T.C etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of an official appointed on contract basis will be permitted after completion of 5 years tenure at one place of posting on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner . In case of Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and full Address)

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th January, 2011

No. HHC/Admn.6(24)/74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, has been pleased to appoint and confer the powers of Civil Judge (Jr. Division), upon the following Judicial Officers to be exercised by them in original Civil Suits, the value of which does not exceed ₹.5,00,000/- within the local limits of the District mentioned against their names with effect from the assumption of charge :-

Sl. No.	Name of the Judicial Officer	Designation and place of posting	District
1.	Sh. Sandeep Singh Sihag	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate, Chopal.	Shimla
2.	Sh. Hakikat	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(IV), Hamirpur.	Hamirpur
3.	Ms. Akshi Sharma	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(VIII), Shimla.	Shimla
4.	Sh. Aslam Beg	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(II), Dehra.	Kangra

By order,
 Sd/-
 Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 7th January, 2011*

No. HHC/Admn. 6(24)/74-VIII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to appoint and confer the powers of Judicial Magistrate Second Class upon the following Judicial Officers to be exercised by them within the local limits of the District mentioned against their names with effect from the assumption of charge :-

Sl. No.	Name of the Judicial Officer	Designation and place of posting	District
1.	Sh. Sandeep Singh Sihag	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate, Chopal.	Shimla
2.	Sh. Hakikat	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(IV), Hamirpur.	Hamirpur
3.	Ms. Akshi Sharma	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(VIII), Shimla.	Shimla
4.	Sh. Aslam Beg	Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate(II), Dehra.	Kangra

The above named officers are further specially empowered to authorize the detention in Police custody in terms of Section 167(2)(c) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and under Section 261 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine, and any abetment of or attempt to commit any such offence.

By order,
Sd/-

Registrar General.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA**NOTICE**

No...../L. B.....

Shri Purushotam Lal, Advocate s/o Shri Roop Lal, r/o Vill. & P. O. Massal, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Nagrota Bagwan. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objections for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 15-1-2011.

Sd/-

*Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.*

ब अदालत श्री मनोज जोशी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 29/2010

श्रीमती Sandla Devi

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Sandla Devi पुत्री श्री Duni Chand, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता Keshari Devi की मृत्यु तिथि 15-1-1990 है परन्तु ग्राम पंचायत Sidhbari में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Keshari Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 17-1-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज जोशी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज जोशी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 41/10

श्री सुग्रीव

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुग्रीव पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कल्याड़ा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आयूष की जन्म तिथि 19-11-2006 है परन्तु ग्राम पंचायत कल्याड़ा में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे आयूष का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 18-1-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज जोशी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत धर्म चन्द चौहान नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री अमर सिंह एवं पुत्री श्री वैसी राम, निवासी चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता कलावती की मृत्यु दिनांक 16-5-1960 को मुहाल डोली छोटी चढ़ियार में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-1-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म चन्द चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :.....

तारीख मजरुआ.....

ब मुकद्दमा शीर्षक :-

श्री लेख राम पुत्र श्री दिला राम, निवासी भौर डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बावत नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री लेख राम पुत्र श्री दिला राम, निवासी भौर, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसके पिता परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत भौर, स्कूल प्रमाण-पत्र व सर्विस अभिलेख में दिला राम सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में दिला राम के स्थान पर दिलू गलत दर्ज किया गया है तथा अब वह अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनैड में दिलू के स्थान पर दिला राम उपनाम दिलू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-1-2011 को सुबह 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 2011

सं० पी०बी०डब्ल्यू०बी०एफ(5)75/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव वाडी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में लुधियाड़ गारन वाया सिद्धपुर धाड झलुन हरनोटा चकवाडी गुरियाल सडक कि० मी० 0/0 से 2/0 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकवा (है०)में
कांगड़ा	नूरपुर	बाडी	94/1	0-07-02
		कुल किता	1	0-07-02

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

**Information of Printing and Stationery Department, Government of Himachal Pradesh
under section 4(1) (b) of the Right to Information Act**

1. The particulars of Organization , Functions and Duties ;

The Department of Printing and Stationery came in to existence in 1948 by merging staff and machinery from the two erstwhile States of Sirmour and Mandi and started functioning. The main function of this Department is to cater to the requirements of Printing and Stationery of all the Government departments/Boards/Corporations and Universities in the State , to purchase different Stationery articles through open tender and supply these items to Indenting Officers of the State, to print the departmental Books , Act and Rules, manual , Budget Documents, Legislative Assembly Business, Debate /reports, Ordinary & Extraordinary Gazette various departmental /Universal forms, Registers and periodicals etc., to sell the Judicial papers to the Treasuries and sale of Govt. Publication. Hon'ble Printing and Stationery Minister is overall in charge of Printing and Stationery Department and Secretary (P&S) is Administrative Secretary of the Department.

2. The powers and duties of its officers and employees.

Cases which are disposed at the level of **Secretary (P&S)** Government of Himachal Pradesh.

- (i) Establishment matter relating to Class-I and II of P&S Department.
- (ii) Court Cases , Class-I & II.
- (iii) Budget, Financial matter /Expenditure sanctions.

Deputy Secretary

(i) All correspondence relating to personnel matters/financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary (P&S).

(ii) Recruitment and Promotion Rules of P&S Department are also routed through him to Secretary (P&S).

Section Officer

- (i) to supervise all the work relating to personnel ,budget and public representations etc.
- (ii) To ensure all the Dealing Assistants and Diarist are maintaining all required registers and keep them updated.
- (iii) To keep carefully watch on the movements of dak, files between section and higher authorities.
- (iv) To ensure timely submission of time bound cases /Court Cases.
- (v) To ensure that all manuals, Rules inspections, guard files etc. of the sections are kept upto date.

Superintendent

- (i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control.
- (ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority.

Sr./ Jr. Asstt.

(i) Opening /maintain of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers.

(ii) Establishment matters including R&P Rules, disciplinary matters relating to Class-I and II, court cases and other misc. matters.

(iii) Recruitment and Promotion Rules of different categories of P&S. department.

Clerk

(i) Diary and dispatch /movement of files weekly & monthly statements etc.

(ii) Maintenance of leave account and other misc, work entrusted by the S.O.

3. The Procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.

All the cases in the branch are submitted on files by the concerned Dealing Asstts. supervised by the Supdt. and submitted to S.O.. He submits it further to Deputy Secretary, then to the Secretary. Routine matters and informatory reference are disposed off at S.O./Deputy Secretary Level. Financial matters/expenditure sanctions, decisions taking powers vests with the Secretary.

4. The norms set by it for the discharge of its functions

As stated at Point No. 2 &3.

5. The Rules, Regulations, instructions, manual and records held b it or under its control or used by its employees for discharging its function.

The various rules and Regulations/instructions followed are as under;-

1. H.P. Financial Rules
2. C.C.S (CCA) Rules ,1965
3. CCS (Conduct) Rules, 1964.
4. Medical Attendance Rules-1964.
5. Delegation of Financial powers.
6. L.T.C. Rules /GPF Rules /Pension Rules etc.
7. R& P Rules.
8. Office Manual.
6. Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.

7. The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to the in-formulation of its policy or implementation thereof.

N.A.

8. A statement of the Board, Council Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of these Boards/Councils/ and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

N.A.

9. A directory of its officers and employees.

1. Secretary (P&S) - Ph. No. 2626435. and 2880675.
2. Spl. P.S to Secretary (P&S) - 2626435 and 2880775
3. Deputy Secretary (P&S) 2622765 and 2880689.
4. Section Officer - 2880444
5. Superintendent - 2880544
6. Sr. Assistant /Jr. Assistant /Clerk and Peon. - do-

10. The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.

N.A.

11. The Budget Allocated to each of its agency including the particulars of all plans, proposed expenditures and report on disbursements made.

N.A.

12. The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.

N.A.

13. Particulars of receipts of concessions or authorizations granted by it.

N.A.

14. Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.

15. The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working of a library or reading room, if maintained for public use.

N.A.

16. The names designations and other particulars of the Public Information officers.

This department vide Notification dated 31-10-2005 has already designated the officers of the Printing and Stationery Department as Appellate Authority /public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.

17. Such other information as may prescribed and thereafter update these publication every year.

N.A.